

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या- 2090 /सत्तर-3-2024-09(01)/2023(L4)
लखनऊ : दिनांक : 02 अगस्त, 2024

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी.सी. दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को चार वर्षीय डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा माह दिसम्बर, 2022 में Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) जारी किया गया है। यू०जी०सी० द्वारा जारी उक्त फ्रेमवर्क के अनुरूप VC's समिति के सुझाव पर प्रदेश की Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) नीति तैयार की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा सक्षम निकायों/प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2024-25 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

/

(एम०पी० अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 3- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
- 4- प्रो० दिनेश चन्द्र शर्मा, कु० मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
विशेष सचिव।

संलग्नक

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना (Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

1. संदर्भ (Introduction)-

यू0जी0सी0 द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी.सी., दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षों में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP के 20 क्रेडिट/सेमेस्टर के प्रावधान को अंगीकृत करते हुए संशोधित तालिकायें तथा उनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

2. क्षेत्र (Scope)-

- 2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0काम0 तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0एससी0, एम0काम0 कार्यक्रमों में लागू होगी।
(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।
- 2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।
(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एग्नेन्टिसिप एम्बेडिड), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक एवं ग्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी तालिका-1 में दी गई है।
(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि के लिए व्यवस्था तालिका-2 में दी गई है।
- 2.4 यह सभी व्यवस्थाएँ सत्र 2024-25 से लागू होंगी।
- 2.5 अन्य संकायो अथवा कार्यक्रमों यथा-चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा-एम0सी0आई0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0 आदि के एन0ई0पी0-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं-

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)-

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एग्नेन्टिसिप एम्बेडिड), पाँच वर्ष की

स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा-बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम०, एल०एल०बी०, पीएच०डी० इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

- 3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा-कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
- 3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 15.06.2021 के अनुसार होगी।
- 3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू०जी०सी० के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में। उक्त के लिए पृथक् से शासनादेश जारी किया जायेगा।
- 3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।
- 3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या-1276/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 16-06-2021)

3.3 विषय (Subject)- यथा

- 3.3.1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।
- 3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

- 3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्राैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
- 3.4.2 थ्योरी, प्राैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

- 4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
- 4.2 (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता नये कोर्स के रूप में नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।
(ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) में उच्चीकृत कर सकते हैं।
- 4.3 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी, बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित

विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष/वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।
(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रूप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requisite के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

- 4.4 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
- 4.5 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 4.6 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 4.7 तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।
- 4.8 सभी विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलेक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलेक्टिव पेपर की कक्षाएँ विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।
- 4.9 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सों की परीक्षा माइनर पेपर के साथ कराएँगे।
- 4.10 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

- 4.11 एन0सी0सी0 को शासनादेश संख्या-1815/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational /Skill development Courses)

- 5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।
- 5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1969/सत्तर-3-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाएंगे।
- 5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0/PMKVY 4.0/केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जाएंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम 9 क्रेडिट (एक साथ/अलग-अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

6. सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

- 6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात् कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।
- 6.2 इन सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।
- 6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।
- 6.4 सभी विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलायेंगे। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।

7. शोध परियोजना (Research Project)

- 7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है परन्तु उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।
- 7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार-चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो

कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

- 7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार-चार क्रेडिट्स की होगी।
- 7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी0एच0डी0 की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।
- 7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाइजर के रूप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।
- 7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।
- 7.8 स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertation) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।
- 7.9 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertation) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।
- 7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम 75 अंक ही देय होंगे। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में पेपर प्रजेंट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाइजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से कराने पर भी मान्य होगा।
- 7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- 8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- 8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार

प्रेक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

- 8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश पृथक से समय-समय पर जारी किए जाते हैं।
- 8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एग्जिस्टेंसिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी. आर. की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS या समकक्ष/समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एग्जिस्टेंसिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

- 8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री-क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।
- 8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। इसके लिये विश्वविद्यालय अपने सक्षम विधिक निकायों/समितियों के माध्यम से नियमों को अनुमोदित करायेंगे।
- 8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात् 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजिट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidelines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें जिनकी कक्षाएँ अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय-सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

11.1 शासनादेश संख्या-1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाय।

11.2 स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसी प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

12 सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन

12.1 सतत आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन करना है। एन0ई0पी0-2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 मुख्य व माईनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को-करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नहीं है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सेज का मूल्यांकन पूर्व की भाँति शासनादेश संख्या-1969/सत्तर-3-2021, दिनांक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

12.3 सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षाएँ आयोजित नहीं की जायेंगी।

12.4 शासनादेश संख्या-2058/सत्तर-3-2021-08(33)/2020टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role play), क्विज (Quiz), पजल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेंट (Student parliamen), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोरे (Extempore), एकजीबिशन (Exhibition), फेयर (

Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि के द्वारा किया जा सकता है। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे।

12.5 विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येत्तर गतिविधियों (Extra-Curricular activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc) का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिये विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से जारी किये जायेंगे।

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC

Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation/ Internship / Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4		12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equivalent organization/ Industry/institute			1 (40) 1200 hours			40
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
200 Master in	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+					1 (4)	40

Faculty			Pract-1(4)						
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
{216} PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	1 (4) Research Methodology				1 (4)	16
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph. D. Thesis	

*Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

3 year Honors/Single subject programme structure

Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cumulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses {AEC}	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses {AEC}	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
					or				
{80+50=130} 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Honours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.